ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

<u>प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026</u>

<u>डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया</u>

1. भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत "RELIEF" (निर्यात सुविधा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप) की घोषणा की है, जो डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के माध्यम से खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में व्यवधानों के कारण माल ढुलाई में असाधारण वृद्धि, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों से प्रभावित भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए है। RELIEF हस्तक्षेपों को व्यवधान अवधि के दौरान पहले से भेजे गए शिपमेंट के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र में नियोजित संभावित निर्यातों को कवर करते हुए निर्यात चक्र में सहायता प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है।

2. स्वीकृत ढांचे के तहत, भारत सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) के पूर्ण स्वामित्व वाली ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, वितरण और निगरानी के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

3. RELIEF हस्तक्षेपों का उद्देश्य प्रभावित देशों में युद्ध संबंधी जोखिमों और उनसे जुड़े राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों के लिए डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट हेतु भेजे जाने वाले फुल कंटेनर लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) या रीफर कंटेनर (नाशवान माल) वाले शिपमेंट शामिल होंगे। इन RELIEF हस्तक्षेपों के तहत सहायता बैक-टू-टाउन कार्गो मामलों पर लागू नहीं होगी।

4. सरकार के निर्देशों के अनुरूप, RELIEF हस्तक्षेपों के परिचालन संबंधी विवरण सभी हितधारकों के लिए नीचे दिए गए हैं:

I. RELIEF घटक - I: ECGC के पहले से बीमित निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण सहायता

(i) उन निर्यातकों के लिए जिन्होंने पहले ही ECGC ऋण बीमा कवर प्राप्त कर लिया है

(ii) कवर की अवधि (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) मौजूदा प्रीमियम दरों पर 100% तक कवर प्रदान किया जाएगा

(iv) सरकार ECGC को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगी जो ECGC अपने पॉलिसीधारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देय राशि से अधिक भुगतान करेगी

II. RELIEF घटक - II: क्षेत्र में आगामी निर्यात के लिए निर्यात ऋण सहायता हेतु ECGC कवरेज को प्रोत्साहित और सुगम बनाना

(i) निर्यातकों को ECGC के ऋण बीमा कवर का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना

(ii) कवर की अवधि (16.3.2026 से 15.6.2026)

(iii) मौजूदा प्रीमियम दरों पर 95% तक का कवर प्रदान किया जाएगा

(iv) सरकार ECGC को उस राशि की प्रतिपूर्ति करेगी जो ECGC अपने पॉलिसीधारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देय राशि से अधिक भुगतान करेगी

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

III. RELIEF घटक - III: पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमित एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए असाधारण माल ढुलाई और बीमा अधिभार के लिए प्रतिपूर्ति सहायता

(i) गैर-ईसीजीसी ग्राहकों और एमएसएमई निर्यातकों के लिए

(ii) शिपमेंट की अवधि (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) निर्यातकों को अतिरिक्त माल ढुलाई और बीमा के 50% तक (सीआईएफ अनुबंधों के लिए) या अनुबंधित एफओबी मूल्य और प्राप्त निर्यात आय के बीच असाधारण अधिभारों के कारण हुई कमी के 50% तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो माल ढुलाई या बीमा लागत में वृद्धि के कारण हुई हो। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) युद्ध जोखिम अधिभार (डब्ल्यूआरएस)/आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ईसीएस) या इसी तरह के शुल्क;

(ख) अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (एडब्ल्यूआरपी);

(ग) समुद्री मार्ग व्यवधानों से जुड़े अतिरिक्त संघर्ष-संबंधित शिपिंग शुल्क; और,

(घ) माल ढुलाई पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।

(iv) प्रत्येक आईईसी को दी जाने वाली कुल सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(क) पात्र इनवॉइस के संबंध में निर्यातक द्वारा हुई वास्तविक हानि की सीमा,

(ख) निर्धारित दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, और

(ग) इस घटक के अंतर्गत सभी पात्र खेपों के लिए प्रति निर्यातक ₹50 लाख की कुल सीमा।

5. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावे दाखिल करने की प्रक्रिया

ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के लिए (RELIEF घटक I और II)

- पॉलिसीधारकों को अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर साइन इन करना होगा।
- वे मौजूदा पॉलिसी दावा मॉड्यूल के माध्यम से दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) के लिए - (RELIEF घटक III)

- निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) को पहले ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर पंजीकरण/साइन अप करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- साइन अप के दौरान, निर्यातकों को निर्यातक ग्राहक कोड बनाने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ विवरण (जैसे, आईईसी, पैन, उद्यमम, बैंक खाता विवरण) प्रदान करने होंगे।
- इसके बाद, निर्यातक पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से RELIEF घटक III के अंतर्गत दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

ईसीजीसी कस्टमर पोर्टल पर पंजीकरण या दावा दाखिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए, निर्यातक निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।

https://youtu.be/X2vtw9z-oQA

6. RELIEF घटक III के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करते समय अपलोड/जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

(**नोट** - प्रत्येक शिपिंग बिल के लिए अलग दावा दाखिल किया जाएगा)

(i) आयातक-निर्यातक कोड (IEC) प्रमाणपत्र
(ii) MSME प्रमाणपत्र
(iii) क्रय आदेश/अनुबंध, यदि कोई संशोधन हो, सहित
(iv) इनवॉइस और पैकिंग सूची
(v) शिपिंग बिल
(vi) ऑनबोर्ड बिल ऑफ लैडिंग
(vii) परिवहन और बीमा इनवॉइस जिनमें "असाधारण" अधिभार तत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, जैसे अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (AWRP), युद्ध जोखिम अधिभार (WRS), आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ECS) या इसी प्रकार के शुल्क, समुद्री मार्ग व्यवधानों से संबंधित अतिरिक्त संघर्ष-संबंधी शिपिंग शुल्क; और कार्गो शिपमेंट पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।
(viii) उक्त "असाधारण" अधिभारों की कटौती के लिए क्रेता के साथ पत्राचार
(ix) किए गए खर्चों के भुगतान का प्रमाण
(x) निर्यात आय की प्राप्ति के लिए बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र
(xi) बैंक खाते का विवरण और रद्द किए गए चेक की प्रति

नोट – घटक I और II के लिए दस्तावेज, ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त, ECGC के दावा प्रपत्र में सूचीबद्ध अनुसार अपलोड/जमा किए जाएंगे। ऐसे सभी दावों की समग्र रूप से जांच की जाएगी।

7. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावों की प्रतिपूर्ति DGFT की अधिसूचना संख्या 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार की जाएगी।

ग्राहक पोर्टल में तकनीकी सहायता के लिए, कृपया econnectivity@ecgc.in पर ईमेल करें। RELIEF से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, कृपया RELIEF2026@ecgc.in पर ईमेल करें। आप हमारी निकटतम शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं - विवरण हमारी वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकाशित 'शाखा लोकेटर' में उपलब्ध हैं - https://main.ecgc.in/english/branch-offices/

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

<u>परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026</u>

<u>संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026</u>

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया'*** है, के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) RELIEF घटक-II के तहत, ऊर्जा शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(ii) RELIEF घटक-III के तहत, हवाई शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(iii) RELIEF हस्तक्षेपों के घटक I और II के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त दावों का, निर्यातकों को जारी की गई ईसीजीसी पॉलिसियों के तहत 'दावा-से-प्रीमियम अनुपात' (CPR) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-ईसीजीसी एमएसएमई निर्यातकों के लिए RELIEF हस्तक्षेप घटक-III के तहत प्रतिपूर्ति की गई राशियों को, भविष्य में निर्यातकों द्वारा ईसीजीसी से प्राप्त की जाने वाली किसी भी पॉलिसी(यों) में CPR की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 2 दिनांक 22.04.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026 व परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया'*** है और परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026 के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) विभिन्न RELIEF घटकों के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित देशों के अलावा, जैसा कि 23.03.2026 की सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में बताया गया है, **इजिप्ट** और **जॉर्डन** में डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट के लिए भेजी जाने वाली शिपमेंट को भी तीनों RELIEF घटकों के तहत कवरेज में शामिल किया जाएगा।

(ii) उन निर्यातकों के अलावा जो नई स्टैंडअलोन पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं, RELIEF घटक II के तहत लाभ उन निर्यातकों को भी उपलब्ध होगा जो 16 मार्च, 2026 को या उसके बाद नई संपूर्ण-पण्यावर्त पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं।

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 3 दिनांक 07.07.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026 व परिशिष्ट - 2 दिनांक 22.04.2026

1. सभी पॉलिसीधारकों और निर्यातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जो '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार रिलीफ घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया***' से संबंधित है; परिशिष्ट–1 दिनांक 25.03.2026 और परिशिष्ट–2 दिनांक 22.04.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना संख्या 21/2026 दिनांक 29 जून, 2026 के अनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि:

   (i) 'निर्यात संवर्धन मिशन' रिलीफ हस्तक्षेप के **घटक II** के तहत पात्रता की अवधि, जो 15 जून, 2026 को खत्म हो गई थी, उसे 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार सख्ती से उन पोतलदानों पर लागू होता है जो रिलीफ हस्तक्षेप के तहत डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए हैं।

   (ii) इस विस्तार के तहत, जिन ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के पास 95% से कम का मानक वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिम रक्षा है, वे 16 मार्च 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच किए गए पोतलदानों के लिए 95% तक के बढ़े हुए अतिरिक्त कवर के लिए पात्र होंगे।

   (iii) यह महत्वपूर्ण उपाय इस्तेमाल को बढ़ाने, व्यापार में लचीलापन लाने, भारतीय निर्यातकों की मदद करने और पश्चिम एशिया में जारी संकट से पैदा होने वाली लॉजिस्टिक्स चुनौतियों को कम करने के लिए लागू किया गया है।

   (iv) मूल सार्वजनिक सूचना और बाद में जोड़े गए परिशिष्टों में बताई गई अन्य सभी शर्तें, नियम और प्रावधान पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगे।

****